

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



सं• 354] No. 354] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 1998/ज्येष्ट 15, 1920 NEW DELHL, FRIDAY, JUNE 5, 1998/JYAISTHA 15, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सङ्कपक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून,1998

का. आ. 491(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि संलग्न अनुसूची के कालम 2 में वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास अथवा रख-रखाव से संबंधित निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य इस शर्त के अध्यधीन उक्त अनुसूची के कालम 3 में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा भी किए जा सकेंगे कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्य करने में उक्त अधिनियम के अधीन उस समय लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

अनुसूची

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	गाजियाबाद के निकट 17.65 कि. मी. में रा. रा. 24 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 का इतना भाग जो उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश तक मेरठ, मुज्जफर नगर, रूडकी, हरिद्वार से गुजरता है।	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार

[सं. एन. एच. 14019/10/97-पी. एल]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास)एवं अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1998

S.O.491(E).— In exercise of the powers, Conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works relating to development or maintenance of the national highway described in column 2 of the Schedule hereto annexed shall be exercisable also by the State Government specified in column 3 of the said Schedule against such highway subject to the condition, that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force made under the said Act.

SCHEDULE

Serial No.	Description of the National Highway	Name of the State Government
1	2	3
I.	So much of National Highway No. 58 starting from its junction with N-24 in Km. 17.65 near Ghaziabad and passing through Meerut, Muzaffar Nagar, Roorkee, Haridwar upto Rishikesh in Uttar Pradesh.	State Government of Uttar Pradesh.

[No.N-14019/10/97-PL]

A. D. NARAIN, Director General

(Road Development) & Addl. Secy.